

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/132 /2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024


विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX-2/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/3क(2)/37067/वा0स्था0(1)/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा0शि0-दो(02)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(क) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय (शासनादेश संख्या-1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के क्रम में काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय) में उसी पद एवं वेतनक्रम में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है। उक्त स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा माननीय न्यायालय में यदि कोई वाद योजित किया गया है, तो उक्त स्थानान्तरण आदेश माननीय न्यायालय में योजित सम्बन्धित रिट याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अधीन रहेगा।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षिका का नाम /पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	उषा कटियार स0अ0एल0टी0	संगीत	एस0सी0ई0आर0टी0 देहरादून	रा0क0इ0का0 मासी, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
2.	श्रीमती बीना फुलेरा स0अ0एल0टी0	व्यायाम	रा0क0इ0का0 धौलाखेड़ा, नैनीताल	रा0क0उ0मा0वि0 पालीगुणादित्य, अल्मोड़ा	रिट याचिका संख्या-1111/ SS/2024 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01. 07.2024 के अनुपालन में प्रत्यावेदन निस्तारण के अधीन
3.	श्रीमती स्मिता पाण्डेय स0अ0एल0टी0	कला	रा0क0इ0का0 पन्तनगर उधमसिंहनगर	रा0क0इ0का0 सोमेश्वर, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
4.	आरती कुशवाहा स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0क0इ0का0 दिनेशपुर गदरपुर उधमसिंहनगर	रा0क0इ0का0 भिक्यासैण, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
5.	गीता चन्द स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0क0इ0का0 बनबसा, चम्पावत	रा0क0इ0का0 काकड़, चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
6.	आराधना सिंह स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0क0उ0मा0वि0 दभौरा मुस्तकम, उधमसिंहनगर	रा0क0इ0का0 पारकोट, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
7.	आशा देवी चन्द स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0क0इ0का0 सितारगंज, उ0सि0न0	रा0क0का0 चमदेवल, चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
8.	डॉ0 निवेदिता स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0इ0का0 हल्द्वानी, नैनीताल	रा0क0उ0मा0वि0 कनकपुर, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-



क्रमशः पृष्ठ 2.....

- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- II- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- III- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- IV- उक्त स्थानान्तरण ऐजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड किये गये विवरण के अनुसार तैयार की गयी सूची के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक/संस्थाध्यक्ष का होगा।
- V- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (edusewa12@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(लीलाधर व्यास)

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 2728-40

/2024-25 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- स्थानान्तरण सूची के क्रमांक 02 में अंकित शिक्षिका को अग्रिम आदेशों तक कार्यमुक्त न किया जाय।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल


कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमरुँ मण्डल नैनीताल
आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/134 /2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024
विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX-2/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/3क(2)/37067/वा0स्था0(1)/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा0शि0-दो(02)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ख)(एक) (गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांगता के आधार पर अनुरोध) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय (शासनादेश संख्या-1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के क्रम में काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय) में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	कु0 शगुप्ता परवीन स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0इ0का0 जयन्ती, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 धौलाखेड़ा, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
2.	रजनी रतनाकर स0अ0एल0टी0	गणित	रा0क0उ0मा0वि0 बासोट, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 गदरपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
3.	रीतू स0अ0एल0टी0	हिंदी	रा0क0उ0मा0वि0 पाटी चम्पावत	रा0क0उ0मा0वि0 बावरखेड़ा जसपुर, उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- II- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- III- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक/संस्थाध्यक्ष का होगा।
- IV- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (edusewa12@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

 क्रमशः पृष्ठ 2.....

V- उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम रोमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून, 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी। जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर तथा नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय।" अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार ही शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(लीलाचर व्यास)

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 2754-65

/2024-25 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
आदेश संख्या/सेवाए-3क(2)/अराज0/135 /2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024

विज्ञापित/स्थानान्तरण


उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX-2/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/3क(2)/37067/वा0स्था0(1)/2023-24 दिनांक 18 मार्च, 2024 एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा0शि0-दो(02)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ख)(दो) (मानसिक रूप से विकसित एवं लावार बच्चों के माता-पिता द्वारा अनुरोध) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय (शासनादेश संख्या-1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के क्रम में काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय) में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	कंचन बिष्ट स0अ0एल0टी0	कला	रा0क0उ0मा0वि0 जालली, अल्मोड़ा	रा0क0उ0मा0वि0 बमौरी हल्द्वानी, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
2.	श्रीमती कविता जीना बिष्ट स0अ0एल0टी0	कला	रा0क0इ0का0 पाये गरुड़, बागेश्वर	रा0क0इ0का0 सितारगंज, उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
3.	श्रीमती ललिता साह स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0क0उ0मा0वि0 होराली, बागेश्वर	रा0क0इ0का0 ताड़ीखेत, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- II- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- III- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक/संस्थाध्यक्ष का होगा।
- IV- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (edusewa12@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।





क्रमशः पृष्ठ 2.....

V— उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा फारित निर्णय दिनांक 18 जून, 2018 के प्रतर-22 के अधीन रहेंगी। जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर तथा नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय।" अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार ही शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(नी) प्रधानाचार्य
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ०सं०/सेवाएं-3क(2)/अराज०/ 2766-77 /2024-25 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11- प्रभारी एम०आई०एस० कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/136 /2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024


विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX-2/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/3क(2)/37067/वा0स्था0(1)/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा0शि0-दो(02)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ख)(तीन) (सेवारत पति-पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय (शासनादेश संख्या-1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के क्रम में काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय) में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	सर्वजीत स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 पाटी, चम्पावत	रा0क0उ0मा0वि0 बावरखेड़ा जसपुर उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- II- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- III- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक/संस्थाध्यक्ष का होगा।
- IV- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (edusewa12@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
- V- उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून, 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी। जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर तथा नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय।" अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार ही शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।



(लीटमपुर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 2.....

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/2778-89 /2024-25 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शारान देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12- कार्यालय आदेश पंजिका।



मण्डलीय अण्ड निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल मन्त्रालय

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
/2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX-2/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/3क(2)/37067/वा0स्था0(1)/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा0शि0-दो(02)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ख)(चार) (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय (शासनादेश संख्या-1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के क्रम में काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय) में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	श्रीमती दीपा उपाध्याय स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0उ0मा0वि0 जालली, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 द्वाराहाट अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
2.	श्रीमती रश्मि परिहार स0अ0एल0टी0	संगीत	रा0क0इ0का0 भीमताल, नैनीताल	रा0क0इ0का0 भवाली, नैनीताल	निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 15.07.2024 के अनुपालन में
3.	श्रीमती मीना पन्त स0अ0एल0टी0	गणित	रा0क0इ0का0 बेतालघाट, नैनीताल	रा0क0इ0का0 पन्तनगर, उ0सि0न0	रिक्त पद के प्रति
4.	श्रीमती तनुजा राहुल स0अ0एल0टी0	संस्कृत	रा0क0इ0का0 स्याल्दे, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
5.	गुन्जन बोहरा स0अ0एल0टी0	गणित	रा0क0इ0का0 खेतीखान, चम्पावत	रा0क0इ0का0 भीमताल, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- II- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- III- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक/संस्थाध्यक्ष का होगा।

क्रमशः पृष्ठ 2.....

- IV- पति-पत्नी के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व पति-पत्नी का उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। अन्यथा की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराया जाय।
- V- स्थानान्तरित कर्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (cdusewa12@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
- V- उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा10 न्यायालय द्वारा फारित निर्णय दिनांक 18 जून, 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी। जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर तथा नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय।" अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या मा10 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार ही शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(लीलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पू0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/2790-101

/2024-25 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/138 /2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX-2/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/3क(2)/37067/वा0स्था0(1)/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा0शि0-दो(02)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ख)(पाँच) (विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय (शासनादेश संख्या-1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के क्रम में काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय) में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	अंकिता सक्सेना स0अ0एल0टी0	कला	रा0क0उ0मा0वि0 बसोट, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 बनबसा, चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
2.	सुमनलता स0अ0एल0टी0	हिंदी	रा0क0इ0का0 शक्तिफार्म, उधमसिंहनगर	रा0क0इ0का0 सितारगंज, उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
3.	हेमा पन्त स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0उ0मा0वि0 बिचखाली नैनीताल	रा0क0इ0का0 हल्द्वानी, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
4.	श्रीमती मनोरमा नौटियाल स0अ0एल0टी0	गणित	रा0क0इ0का0 ऐटाण कपकोट, बागेश्वर	रा0क0इ0का0 खटीमा, उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- II- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 2.....

- III- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक/संस्थाध्यक्ष का होगा।
- IV- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (edusewal2@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
- V- उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून, 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी। जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर तथा नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय।" अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार ही शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(लीलाधर व्यास)

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पू0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/2802-13

/2024-25 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12- कार्यालय आदेश पंजिका।



मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/139 /2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024
विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं शसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX-2/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/3क(2)/37067/वा0स्था0(1)/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा0शि0-दो(02)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ख)(छ:) (दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय (शासनादेश संख्या-1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के क्रम में काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय) में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	श्रीमती विनीता साह स0अ0एल0टी0	हिन्दी	रा0बा0इ0का0 दौलाघट, अल्मोड़ा	रा0क0उ0मा0वि0 रैलाकोट, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
2.	श्रीमती ललिता पंत स0अ0एल0टी0	हिन्दी	रा0बा0इ0का0 लोहाघाट, चम्पावत	रा0क0इ0का0 गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
3.	श्रीमती स्नेहलता यादव स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 ऐटाण, बागेश्वर	रा0क0इ0का0 उभ्याड़ी द्वाराहाट, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
4.	पलविन्दर कौर स0अ0एल0टी0	गणित	रा0क0उ0मा0वि0 तामानौली, पिथौरागढ़	रा0क0इ0का0 बेतालघाट, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
5.	प्रीति जोशी स0अ0एल0टी0	गणित	रा0क0उ0मा0वि0 डुंगरा, अल्मोड़ा	रा0क0उ0मा0वि0 क्वैराला सल्ट, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
6.	शालिनी हर्बाला स0अ0एल0टी0	कला	रा0क0इ0का0 भरसोली, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 पुरड़ा बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
7.	उमा पाटनी स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 तामानौली, पिथौरागढ़	रा0क0उ0मा0वि0 देवलथल पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
8.	पूनम लता स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0उ0मा0वि0 डुंगरा, अल्मोड़ा	रा0क0उ0मा0वि0 बांगीधार सल्ट अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
9.	श्रीमती कविता राज स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0बा0इ0का0 बगवालीपोखर, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 भटेलिया, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
10.	डॉ0 नेहा बिष्ट स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0उ0मा0वि0 क्वैराला सल्ट, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 भिक्यासैण अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
11.	कु0 अम्बर स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 गणाईगंगोली, पिथौरागढ़	रा0क0इ0का0 दन्या अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

क्रमशः पृष्ठ 2.....

12.	श्रीमती बबली गौड़ स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0बा0इ0का0 दोफाड़, बागेश्वर	रा0क0इ0का0 जयन्ती, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
13.	ममता राज टम्टा स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0क0उ0मा0वि0 बनकोट पिथौरागढ़	रा0क0उ0मा0वि0 डुंगरा, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
14.	प्रिया टम्टा स0अ0एल0टी0	गृह वि0	रा0क0उ0मा0वि0 डुंगरा, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 जयन्ती, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- II- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- III- उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक/संस्थाध्यक्ष का होगा।
- IV- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (edusewa12@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
- V- उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून, 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी। जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर तथा नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय।" अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार ही शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(लीलाधर व्यास)

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पू0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 2814-25 /2024-25 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/140 /2024-25 दिनांक 30 जुलाई, 2024
विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX-2/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/3क(2)/37067/वा0स्था0(1)/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा0शि0-दो(02)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 18 मार्च, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ख)(सात) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय (शासनादेश संख्या-1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के क्रम में काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय) में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	श्रीमती नीरू जाशी स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0इ0का0 गदरपुर, उधमसिंहनगर	रा0क0इ0का0 ताड़ीखेत, अल्मोड़ा-दुर्गम	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
 - स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - उक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों में कोई भिन्नता होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक/संस्थाध्यक्ष का होगा।
 - स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (edusewa12@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
 - उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून, 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी। जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर तथा नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय।" अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार ही शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।



(नीलाधार व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 2.....

पू0सं0/सेवाए-3क(2)/अराज0/2826-37

/2024-25 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शारान देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12- कार्यालय आदेश पंजिका।



मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-198739/XXX-2/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/3क(2)/37067/वा0स्था0(1)/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा0शि0-दो(02)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-223526/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित मण्डलीय स्थानान्तरण समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ग) **(दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण)** में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय (शासनादेश संख्या-1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के क्रम में काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय) में उसी पद एवं वेतनक्रम में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है। उक्त स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा माननीय न्यायालय में यदि कोई वाद योजित किया गया है, तो उक्त स्थानान्तरण आदेश माननीय न्यायालय में योजित सम्बन्धित रिट याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अधीन रहेगा।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	अम्बिका आर्या स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0इ0का0 रानीखेत, अल्मोड़ा।	रा0क0इ0का0 किशनपुर हल्द्वानी, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
2.	हेमा भट्ट स0अ0एल0टी0	कला	रा0क0इ0का0 मूनाकोट, पिथौरागढ़	रा0क0इ0का0 पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
3.	भगवती पाण्डेय स0अ0एल0टी0	हिंदी	रा0क0इ0का0 मूनाकोट, पिथौरागढ़	रा0क0इ0का0 फाजिलपुर महरौला, उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
 - II- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
 - III- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - IV- उक्त स्थानान्तरण ऐजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड किये गये विवरण के अनुसार तैयार की गयी सूची के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक/संस्थाध्यक्ष का होगा।

क्रमशः पृष्ठ 2.....

- V- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को ई-मेल (edusewa12@gmail.com) के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(लीलाधर व्यास)

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

/2024-25 दिनांक उक्तानुसार।

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/2838-49

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आदेश की प्रति अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
- 11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 12- कार्यालय आदेश पंजिका।



मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल